न्यायालय संख्या–9

राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

उपस्थितः माननीय श्री योगेश्वर राम मिश्र, सदस्य (प्रशा0)
माननीय श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी, सदस्य (न्या0)
निर्देश याचिका संख्या– 1086/2023

दिवाकर यादव, पी0एन0ओ0–980551048, आयु लगभग 48 वर्ष, पुत्र श्री लालधारी यादव, वर्तमान में तैनात उपनिरीक्षक, पी0एस0–Parasrampur, जिला–बस्ती।

–––याची

बनाम

1– उत्तर प्रदेश राज्य व्दारा प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, गृह, उ0प्र0 सिविल सचिवालय, लखनऊ।
2– पुलिस महानिरीक्षक, बस्ती रेंज, बस्ती।
3– पुलिस अधीक्षक, बस्ती। **–––विपक्षीगण।**

याची की तरफ से उपस्थित विव्दान अधिवक्ता श्री रितेश प्रताप सिंह।
विपक्षीगण की तरफ से उपस्थित विव्दान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

निर्णय

व्दाराः माननीय श्री योगेश्वर राम मिश्र, सदस्य (प्रशा0)

याची व्दारा यह याचिका1 राज्य लोक सेवा अधिकरण, अधिनियम 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत आलोच्य दण्डादेश दिनॉकित 27–01–2023 (संलग्नक सं0–1) जिसके व्दारा उसे एक वर्ष हेतु उप निरीक्षक के न्यूनतम वेतनमान पर प्रत्यावर्तित किये जाने का दण्ड प्रदान किया गया है एवं आदेश दिनॉंकित 24–04–2023 (संलग्नक सं0–2) जिसके व्दारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध याची व्दारा दाखिल अपील निरस्त की गयी है, को खण्डित किये जाने हेतु योजित की गयी है।

2– संक्षेप में याचिका के तथ्य यह हैं कि याची की नियुक्ति दिनॉक 14–10–1998 को आरक्षी के पद पर हुई थी। तदोपरान्त उसे वर्ष 2013 में उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी। याची के अनुसार जब वह वर्ष 2021 में थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती में उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त था तो दिनॉंक 09–08–2021 को थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती पर पंजीकृत मु0अ0सं0–165/2021 अन्तर्गत धारा 419/420/467/468/471 भा0दं0सं0 की विवेचना उसे आवंटित हुई। उक्त विवेचना का दस माह का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी साक्ष्य संकलन कर अभियोग का निस्तारण

न होने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच क्षेत्राधिकारी सदर बस्ती से करायी गयी। उक्त प्रारम्भिक जाँच में याची को पाये जाने पर दण्डाधिकारी व्दारा याची के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम 14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी तथा उक्त विभागीय कार्यवाही के सम्पादन हेतु अपर पुलिस अधीक्षक को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया जिनके व्दारा याची को आरोप पत्र दिनाँकित 22–10–2022 (संलग्नक सं0–5) निर्गत किया गया जिसमें यह आरोप लगाया गया कि *"पुलिस अधीक्षक बस्ती के पत्र संख्या–पी–269/2022 दिनाँकः अक्टूबर 14, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से दिनाँक 09–08–2021 को थाना–मुण्डेरवा, जनपद–बस्ती पर पंजीकृत मु0अ0सं0–165/2021 अन्तर्गत धारा 419/420/467/468/471 भा0दं0सं0 की विवेचना आपको आवंटित हुई। उक्त अभियोग की विवेचना में आप व्दारा 10 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरानत भी अभियोग का निस्तारण न करने एवं स्वेच्छाचारिता बरते जाने के सम्बन्ध में पत्र संख्या–ई–141/2022 दिनाँक 27–07–2022 के व्दारा प्रारम्भिक जाँच अधोहस्ताक्षरी को आवंटित की गयी। अधोहस्ताक्षरी व्दारा प्रकरण की प्रारम्भिक जाँच कर आख्या दिनाँक 30–09–2022 को प्रेषित की गयी। प्रारम्भिक जाँच में वादी पवन कुमार पुत्र श्याम सुन्दर निवासी ग्राम–वैदा कला थाना–मुण्डेरवा जनपद–बस्ती के पिता श्याम सुन्दर का केसीसी खाता संख्या–34355461896 एसबीआई मुण्डेरवा में था। वादी व्दारा अपने पिता के मृत्यु के उपरान्त केसीसी खाता अपने नाम से उक्त ब्रान्च में खाता संख्या 36721069401 खोला गया। आवेदक के पिता की मृत्यु के 03 वर्ष उपरान्त मृतक श्याम सुन्दर के केसीसी खाते से दिनाँक 08–03–2018 व 07–03–2018 को कुल 2,70,000–00 रूपये निकाले जाने के सम्बन्ध में पवन कुमार के प्रार्थना पत्र धारा 156(3) जा0फौ0 के आधार पर मा0 न्यायालय सीजेएम बस्ती के आदेश दिनाँक 07–04–2021 के क्रम में दिनाँक 09–08–2021 को थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती पर मु0अ0सं0–165/2021 अन्तर्गत धारा 419/420/467/468/471 भा0दं0सं0 बनाम राजेश चौधरी पुत्र हरिश्चन्द्र निरवासी ग्राम–वैदाकला थाना–मुण्डेरवा जनपद–बस्ती, उत्तम सिंह फिल्ड आफिसर, सुग्रीव कैशियर, विद्यासागर कैशियर एसबीआई मुण्डेरवा बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत होकर विवेचना आपको आवंटित हुई। आप व्दारा उक्त अभियोग की विवेचना में समुचित कार्यवाही न करने के कारण 01 वर्ष से अधिक समय से लम्बित है। उक्त अभियोग में नामजद एवं प्रकाश में आये अभियुक्त द्वारा आपराधिक कृत्य करने के साक्ष्य उपलब्ध होने के उपरान्त विवेचक व्दारा अभियुक्तगण के विरूद्ध*

समुचित साक्ष्य संकलित कर त्वरित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित था परन्तु प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध साक्ष्य होने के उपरान्त भी विवेचक व्दारा त्वरित कार्यवाही न करते हुए उनको जानबूझकर अनुचित लाभ दिया गया है। इस प्रकार विवेचक की भी उक्त अपराध में संरक्षण देने में संलिप्तता प्रकाश में आ रही है। विवेचक व्दारा अपने मूल दायित्वों एवं कर्तव्यों के विपरीत जाकर उ0नि0 पद की गरिमा, निष्पक्षता, विश्वसनीयता एवं प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचायी गयी है, जिसके लिए विवेचक उ0नि0 दिवाकर यादव को संगठित अपराध को संरक्षण देने का दोषी पाया गया। उ0नि0ना0पु0 दिवाकर यादव जनपद बस्ती का उक्त कृत्य कर्तव्य पालन के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और आपराधिक मानसिकता एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है।" याची व्दारा उक्त आरोप पत्र का उत्तर जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उसके व्दारा आरोप का खण्डन करते हुए समस्त वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया गया। तदोपरान्त याची के अनुसार जाँच अधिकारी व्दारा बिना कोई नियमानुसार जाँच किये अपनी जाँच आख्या दिनाँकित 22-12-2022 (संलग्नक सं0-6) दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी जिसमें जाँच अधिकारी व्दारा याची को दोषी माना गया। तदोपरान्त याची के अनुसार, दण्डाधिकारी व्दारा याची को कारण बताओ नोटिस दिनाँकित 06-01-2023 (संलग्नक सं0-7) निर्गत की गयी जिसका उत्तर (संलग्नक सं0-8) याची व्दारा प्रस्तुत किया गया। परन्तु याची के अनुसार उसके स्पष्टीकरण पर बिना कोई विचार किये आलोच्य दण्डादेश दिनाँकित 27-01-2023 पारित कर दिया गया। उक्त दण्डादेश के विरूद्ध याची व्दारा पुलिस महानिरीक्षक, बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसे आदेश दिनाँकित 24-04-2023 व्दारा निरस्त कर दिये जाने के कारण याची व्दारा यह याचिका योजित की गयी है।

3- विपक्षीगण व्द्वारा लिखित विवेचन दाखिल किया गया जिसमें यह कथन किया गया कि प्रकरण में याची को प्रारम्भिक जाँच आख्या में दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम 14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी जिसके अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी व्दारा याची को आरोप-पत्र निर्गत किया गया जिसका उत्तर याची व्दारा प्रस्तुत किया गया। तदोपरान्त जाँच अधिकारी व्दारा नियमानुसार जाँच सम्पादित कर अपनी जाँच आख्या दिनाँकित 22-12-2022 दण्डाधिकारी के समक्ष प्रेषित की गयी जिसमें जाँच अधिकारी व्दारा याची को दोषी पाया गया। उक्त जाँच आख्या पर विचारोपरान्त दण्डाधिकारी व्दारा याची को कारण बताओ नोटिस विभागीय जाँच की प्रति सहित निर्गत की गयी

जिसका स्पष्टीकरण याची व्दारा प्रस्तुत किया गया जिस पर विचारोपरान्त दण्डाधिकारी व्दारा उसके विरूद्ध अलोच्य दण्डादेश दिनाँकित 27-01-2023 पारित कर दिया गया। याची द्वारा उक्त दण्डादेश के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसे सकारण आदेश दिनाँकित 24-04-2023 व्दारा स्वीकार/निरस्त कर दिया गया। विपक्षीगण व्दारा अग्रेतर यह कथन किया गया कि याची के विरुद्ध पारित आलोच्य आदेश पूर्णतया विधिक एवं नियमानुसार है जिन्हें पारित किये जाने में कोई विधिक या प्रकियात्मक त्रुटि नही है अतः याची की याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

4- याची द्धारा प्रतिउत्तरशपथपत्र दाखिल करते हुए लिखित विवेचन/प्रतिशपथपत्र के कथन से इंकार किया गया है तथा याचिका के तथ्यों का समर्थन किया गया है।

5- हमारे व्दारा याची के विव्दान अधिवक्ता तथा विपक्षी की ओर से उपस्थित विव्दान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6- प्रश्नगत दण्डादेश दिनाँकित 27-01-2023 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दण्डाधिकारी ने मात्र जाँच आख्या के आधार पर दण्डादेश पारित किया है। जाँच अधिकारी/पीठासीन अधिकारी व्दारा अपने निष्कर्ष में याची को उक्त अभियोग की विवेचना प्रारम्भ से किये जाने के उपरान्त भी समुचित कार्यवाही न करने का दोषी पाया है तथा मात्र इस आधार पर बिना अपने वैधानिक मस्तिष्क का प्रयोग किये हुए दण्डाधिकारी ने यांत्रिक रूप से दण्डादेश पारित किया है। याची के व्दारा कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में जो विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है उस सन्दर्भ में भी कोई विवेचना दण्डाधिकारी ने नहीं की है जबकि दण्ड देने के लिये निकाले गये निष्कर्ष के कारणों का उल्लेख होना चाहिये जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **राज कुमार मेहरोत्रा बनाम बिहार सरकार व अन्य 2006 सुप्रीम कोर्ट केसेज ;एल0एण्ड एस0, 679,** मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने **युनियन आफ इण्डिया बनाम मोहन लाल कपूर, (1973) 2 एससीसी 836, जी0 वल्ली कुमार बनाम आन्ध्रा एजूकेशन सोसाइटी 2010 ;2, एस0सी0सी, 947, जे0अशोका बनाम कृषि विज्ञान यूनिवर्सिटी (2017) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेज, 609** में दिये गये निर्णयों में विधि व्यवस्थाऐं दी गयी हैं जिनका सारांश यह है कि कारण और निष्कर्ष में एक वैधानिक संबंध होना चाहिए तथा बिना पुष्ट कारणों के निष्कर्ष नहीं निगमित किया जा सकता। आलोच्य दण्डादेश में उन कारणों और निष्कर्ष का सामन्जस्य अपूर्ण है। ऐसी

स्थिति में प्रश्नगत दण्डादेश सकारण व मुखरित आदेश की श्रेणी में नहीं आता है, अतः प्रश्नगत दण्डादेश स्थिर रहने योग्य नहीं है।

7- चूँकि यह विधिक स्थिति है कि जब प्रारम्भिक कार्यवाही/आदेश ही विधि सम्मत नहीं है तब उसके पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाही/आदेश भी विधि सम्मत नहीं माने जायेंगे। यहाँ पर *Debile fundamentum fallit opus का सिद्धान्त लागू होगा अर्थात "Where the foundation is weak, the super structure collapses."* ऐसी स्थिति में याची के विरूद्ध पारित अपीलीय आदेश दिनाँकित 24-04-2023 भी स्थिर रहने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में हमारे मत में दण्डाधिकारी को याची के स्पष्टीकरण में उठाये गये बिन्दुओं की पुनः समीक्षा कर सकारण व मुखरित आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित होगा। तद्नुसार याची की याचिका आंशिक रूप से निम्न आदेश के साथ स्वीकार की जाती है।

<u>आदेश</u>

याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आलोच्य दण्डादेश दिनाँकित 27-01-2023 (संलग्नक सं0-1) व अपीलीय आदेश दिनाँकित 24-04-2023 (संलग्नक सं0-2) अपास्त किये जाते हैं। विपक्षी सं0-3, पुलिस अधीक्षक बस्ती को निर्देशित किया जाता है कि वे याची व्दारा कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में दिये गये स्पष्टीकरण में उठाये गये बिन्दुओं की पुनः समीक्षा कर सकारण व मुखरित आदेश पारित इस निर्णय की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त होने के तीन माह के अन्तर्गत पारित करना सुनिश्चित करें।

उभय पक्ष वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/- ***ह0/-***
(रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी) ***(योगेश्वर राम मिश्र)***
सदस्य (न्या0) ***सदस्य (प्रशा0)***

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनाँकित व उद्घोषित किया गया।

ह0/- **ह0/-**
(रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी) ***(योगेश्वर राम मिश्र)***
सदस्य (न्या0) ***सदस्य (प्रशा0)***

दिनाँकः 19 अगस्त, 2026
एच0के0आर0/पी0एस0